

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

कार्यालय -दूरभाष (07856) 252228, फ़ैक्स-252305 निवास -(07856) 252439 E-mail:-dfodnt@rediffmail.com

क्रमांक/क.त.अ./443

दन्तेवाड़ा, दिनांक 20/01/2021

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

विषय :- Diversion of Forest land for Non-Forestry purpose under Forest Conservation Act 1980
Proposed for LIC Building Dantewada, Area 0.262 Ha. Compartment No. P1373
पंजीयन क्रमांक- FP/CG/Other/36479/2018

संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/
एल.एम. -115-759/2171 रायपुर दिनांक 03.09.2019
2. आपका पत्र क्रमांक/व.त.अ./4836 जगदलपुर दिनांक 24.09.2019
3. शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम दन्तेवाड़ा का पत्र दिनांक 28.02.2020

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र - 3 के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार आवेदक संस्थान के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वन मंडल कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिंदुवार विवरण निम्नानुसार है:-

1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ - 01)

➤ छत्तीसगढ़ राज्य के दन्तेवाड़ा जिले में दन्तेवाड़ा वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित भारतीय जीवन बीमा निगम भवन निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र दन्तेवाड़ा अन्तर्गत वन भूमि रकबा 0.262 हे० क्षेत्र की न्यूनतम मांग है।

2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)(प्रस्ताव पृष्ठ - 02)

➤ आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन हेतु राशि रुपये - 6000 एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु रु 29000/- जमा किया गया है, जिसे कोषालय में चालान नम्बर - 44 दिनांक 23.10.2019 द्वारा पी. डी.खाता में जमा किया गया है।

3. वन क्षेत्र विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ - 03 से 04)

➤ व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित संरक्षित वन रकबा 0.262 हे. है। व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.4 से 0.6 है। वन की साईट क्वालिटी iii प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षों की कटाई आवश्यक नहीं है।

4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ - 05 से 06)

➤ गैर वन क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मुल टोपो शीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ -07 से 08 तक)

➤ वन प्रबंधन सूचना प्रणाली रायपुर से प्राप्त टोपो शीट प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ- 09 से 10 तक)

➤ वन मंडल में उपलब्ध टोपो शीट की छायाप्रति संलग्न है।

7. प्रपत्र- 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ - 11 से 24 तक)

➤ नगर पालिका परिषद् दन्तेवाड़ा अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा भवन निर्माण हेतु ।

8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ. 25)

- बस्तर एक आदिवासी क्षेत्र है जिसके सर्वांगीण विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार निरंतर बीमा के अधिकाधिक विस्तार एवं सुचारु सेवाओं के लिए स्वयं के भवन की महती आवश्यकता प्रतीत हो रही है। जिसके अन्तर्गत निगम द्वारा भवन निर्माण का निर्णय लिया गया है। दंतेवाड़ा शहर के लिए एक आकर्षण का केन्द्र होगा तथा क्षेत्र के युवाओं को अभिकरण सेवाओं के माध्यम से रोजगार के नये अवसर भी प्रदान करेगा।

9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ – 26)

- भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण हेतु दन्तेवाड़ा वन मंडल के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि के बदले दुगुने वनक्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु भारत सरकार द्वारा जो भी शर्त लागू की जावेगी। आवेदक संस्थान को मान्य है।

10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ – 27)

- भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण के लिए वन भूमि की आवश्यकता के परिपेक्ष्य में अन्य विकल्पों का पता लगाया गया है किन्तु कोई भी विकल्प उचित नहीं पाया गया। अतएव प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है।

11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ – 28)

- भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण के लिए पर्यावरण संरक्षण क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं है।

12. वृक्ष विदोहन वितरण (प्रपत्र –“अ” एवं “ब” में)(प्रस्ताव पृष्ठ – 29)

- भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण के लिए वृक्ष विदोहन की आवश्यकता नहीं है।

13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ – 30)

- आवश्यकता नहीं है।

14. चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, समक्ष अधिकारी का हस्तांतरण आदेश)– राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ – 31)

- आवश्यकता नहीं है।

15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ – 32)

- आवश्यकता नहीं है।

16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ –33 से 34)

- भारत सरकार का पत्र क्रमांक/18015/34/2010-NM-iv नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली दिनांक 10.04.2013 के अनुसार 5.00 हे. से कम होने के कारण CA की आवश्यकता नहीं है।

17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ –35)

- आवश्यकता नहीं है।

18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ – 36)

- किसी भी अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम उल्लंघन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

19. अधिनियम उल्लंघन अन्तर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ – 37)

- भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण कार्य नवीन है तथा दंतेवाड़ा वन मंडल के अन्तर्गत वन भूमि में कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।

20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ- 38)
 ➤ किसी भी अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध अधिनियम उल्लंघन की कार्यवाही नहीं किया गया है।
21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ - 39)
 ➤ आवश्यकता नहीं है।
22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ - 40)
 ➤ आवश्यकता नहीं है।
23. रिक्लेमेशन प्लान(प्रस्ताव पृष्ठ - 41)
 ➤ आवश्यकता नहीं है।
24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ -42)
 ➤ आवश्यकता नहीं है।
25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ - 43)
 ➤ आवश्यकता नहीं है।
26. वनअधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ -44 से 52)
 ➤ वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।
27. ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ - 53)
 ➤ भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के इमारत / स्मारक या भवन अथवा अन्य कोई निर्माण नहीं है।
28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ - 54 से 56)
 ➤ नगर पालिका परिषद् होने के कारण मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् दन्तेवाड़ा का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.में) (प्रस्ताव पृष्ठ - 57)
 ➤ दन्तेवाड़ा जिले के वन मंडल अन्तर्गत कुल वन भूमि 1242.505 वर्ग कि.मी. है।
30. व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.में.(प्रस्ताव पृष्ठ - 58)
 ➤ दन्तेवाड़ा वन मंडल अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 19 स्वीकृत प्रकरणों में रकबा 3217.624 हे. वन भूमि प्रभावित हुआ है।
31. व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे.में (प्रस्ताव पृष्ठ - 59)
 ➤ दन्तेवाड़ा जिले के दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इसी कैटेगरी के कोई भी प्रकरण वन भूमि में प्रत्यावर्तन हेतु स्वीकृत नहीं है।
32. प्रस्तावित क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ - 60)
 ➤ भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण के अन्तर्गत 10 कि.मी. की परिधि में ऐतिहासिक महत्वपूर्ण माँ दंतेश्वरी माई जी का मंदिर स्थित है।
33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शों में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ - 61)
 ➤ आवश्यकता नहीं है।

34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ - 62 से 63)
➤ प्रमाण पत्र संलग्न है।
35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ -64)
➤ आवश्यकता नहीं है।
36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र।(प्रस्ताव पृष्ठ - 65 से 65 'ए')
➤ प्रत्याशा मूल्य की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचन बद्ध है।(वचन पत्र संलग्न है)
37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ - 66)
➤ प्रस्तावित भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित वन प्रस्ताव से संबंधित भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात जो भी राशि CA, ACA, PCS, CAT, NPV आदि निर्धारित की जाती है तो वह राशि CAMPA निधि में तत्काल जमा करने में तैयार है।
38. "A detailed note on Soil Productivity or the lack of it" (प्रस्ताव पृष्ठ - 67 से 68)
➤ संलग्न है।
39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र। (प्रस्ताव पृष्ठ - 69 से 69 'ए')
➤ प्रमाण पत्र संलग्न है।
40. Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980- (प्रस्ताव पृष्ठ - 70)
➤ लागु नहीं है।
41. पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ - 71)
➤ उक्त चेक लिस्ट के बिंदु क्रमांक - 02 में उल्लेखित है।
42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ - 72)
➤ आवश्यकता नहीं है।
43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ -73)
➤ आवश्यकता नहीं है।
44. प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ -74)
➤ प्रस्तावित भूमि का डी.जी.पी.एस सर्वे रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

वनमण्डलाधिकारी
दंतेवाड़ा वनमण्डल दंतेवाड़ा